

S. No.	Name	S. No.	Name
125.	Narender Kumar S/o Sh. Shiv Shanker		
126.	Mandir On Main Road		
127.	Sant Ram		
128.	Rajbir S/o Sh. Dharam Singh Nai		
129.	Mamkaur W/o Sh. Suraj Bhan		
130.	Dharamvir S/o Sh. Matu Ram		
131.	Bimla W/o Sh. Deshraj		
132.	Kawar Lal S/o Sh. Tara Chand		
133.	Ram Nathan		
134.	Geeta Devi W/o Sh. Anand Prakash		
135.	Yoginder, Sushil both S/o Sh. Panna Lal		
136.	Kanta W/o Sh. Suresh		
137.	Saroj W/o Sh. Laxman		
138.	Sheila W/o Sh. Rajender		
139.	Reshma W/o Sh. Inderpal		
140.	Chinno W/o Sh. Murari		

सचिव
राजीव कालोनी विकास समिति
प्लाट सविनारी रा. नरेंद्रा दिवली-40

सचिव
राजीव कालोनी विकास समिति
प्लाट सविनारी रा. नरेंद्रा दिवली-40

S. No.	Name	S. No.	Name
83.	Fateh Chand	104.	Prakasho W/o Sh. Chander Bhan
84.	Sushil S/o Sh. Jagbahadur	105.	Bhan Singh S/o Sh. Makad
85.	Raj kali W/o Sh. Jai Pal	106.	R.K. Sharma S/o Sh. O.P. Sharma
86.	Ratno W/o Sh. Dilip Singh	107.	Shakuntala W/o Sh. Hari Prakash
87.	Mukesh Kumar S/o Sh. Chutru	108.	Ramo Devi W/o Sh. Nandu
88.	Suman W/o Sh. Surender	109.	Har Prashad S/o Sh. Bhoodev Singh
89.	Pratap Singh S/o Sh. Sardar Singh	110.	Prakash S/o Sh. Raj Singh
90.	Davender S/o Sh. Pale Ram	111.	Jai Pal S/o Sh. Gadhu Ram
91.	Sukh Ram W/o Sh. Harnand	112.	Bhim Singh S/o Sh. Gadhu Ram
92.	Rani Devi W/o Sh. Subhash	113.	Narender S/o Sh. Ram Charat
93.	Badal S/o Sh. Gagu Sarkar	114.	Narender S/o Sh. Shiv Shanker
94.	Kamla W/o Sh. Harpal	115.	Babita W/o Sh. Rajender Kumar Saini
95.	Subhash S/o Sh. Jogi Ram	116.	Ram Devi W/o Sh. Puren Chand
96.	Shyam Rati S/o Sh. Sri Niwas	117.	Satbir S/o Sh. Shiv Narain Aditi
97.	Bimla W/o Sh. Ram Vinay	118.	Sanjay
98.	Sukh Ram S/o Sh. Harchand	119.	Sanjay S/o Sh. Shyam Sunder
99.	Bhupender s/o Sh. Tara Chand	120.	Ramesh Kumar S/o Sh. Ram Kishan
100.	Narain S/o Sh. Tara Chand	121.	Kailasho Devi W/o Sh. Shyam Sunder
101.	Anil S/o Sh. Kesto Lal	122.	Harpal Chauhan
102.	Daya Shankar S/o Sh. Herawan	123.	Lakhmi Chand
103.	Prabhu Dayal S/o Sh. Guljar	124.	Om Prakash Pradhan

सचिव
राजीव कालोनी विकास समिति
प्लॉट मनिषारी रोड, नरेला दिल्ली-40

S. No.	Name	S. No.	Name
41.	Roshni W/o Sh. Ram Nath	62.	Balbir Singh
42.	Virender Singh S/o Sh. Balbir Singh	63.	Parvati W/o Sh. Tara Singh
43.	Bala W/o Sh. Dilbagh Singh	64.	Puran Singh S/o Sh. Chander Singh
44.	Pushpa Devi W/o Sh. Rajinder	65.	Joshi Ram S/o Sh. Shish Ram
45.	Pravithi Singh S/o Sh. Daya Ram	66.	Rajender S/o Sh. Kali Ram
46.	Kanhiya Ram S/o Sh. Munna Ram	67.	Shakuntala W/o Sh. Sumer Sen
47.	Braham Prakash S/o Sh. Dulia	68.	Kesher W/o Sh. Harswaroop
48.	Isho W/o Sh. Sunil	69.	Shanti Devi W/o Sh. Balbir Singh
49.	Arjun S/o Sh. Mehi Lal	70.	Vimla W/o Sh. Deshraj
50.	Kamlesh W/o Sh. Bhajan Lal	71.	Mahendro W/o Sh. Om Prakash
51.	Ram Nuthan S/o Sh. Ram Sakal	72.	Sunita W/o Sh. Naresh Kumar
52.	Guru Sharan Psd. S/o Sh. Jagdev	73.	Madhuri W/o Sh. Harkesh
53.	Dharshan S/o Sh. Mehar Das	74. ✓	Namita W/o Sh. Rajnish
54.	Mansa Devi W/o Sh. Naresh Kumar	75.	Raj Kumar S/o Sh. Tara Singh
55.	Raj Bala W/o Sh. Jaswant	76.	Dinesh S/o Sh. Ram Singh
56.	Chodo Devi	77.	Seminder S/o Sh. Chander Bhan
57.	Virender S/o Sh. Jogi Ram	78.	Sunita W/o Sh. Bahadur Singh
58.	Shanti Devi W/o Sh. Om Prakash	79.	Anusia W/o Sh. Jhadu Ram
59.	Vinod S/o Sh. Gordhan	80.	Bupender Singh S/o Sh. Tara Chand
60.	Hari Ram S/o Sh. Kallu Ram	81.	Puran Singh S/o Sh. Surender
✓ 61.	Sanjay	82.	Lahari

सचिव
राजीव कालोनी विकास समिति
घाउ मनिवारी रोड, नरेवा दिहनी-40

**List of House Owner of Rajiv Colony Extn., Pious Manyari
Road, Narela, Delhi-110040**

S. No.	Name	S. No.	Name
1.	Rukmani Devi S/o Sh. Balbir Saini	21.	Sita Ram S/o Sh. Chandu
2.	Ram Niwas S/o Sh. Ramdhari	22.	Naresh W/o Sh. Sube Singh
3.	Bhagwan Singh S/o Sh. Shiv Narain	23.	Shyam Sunder S/o Sh. Banwari
4.	Saroj Bala W/o Sh. Krishan Kumar	24.	Virender S/o Sh. Jogi Ram
5.	Vinesh W/o Sh. Sanjay Kumar	25.	Bharpai W/o Sh. Sant Ram
6.	Rajpal S/o Sh. Karam Singh	26.	Annant Ram S/o Sh. Shish Ram
7.	Ramjani S/o Sh. Mange Ram	27.	Anand S/o Sh. Jogi Ram
8.	Kameshwar Singh	28.	Narender S/o Sh. Sant Ram
9.	Koko Devi	29.	Balwan Singh S/o Sh. Jogi Ram
10.	Phollo Devi W/o Sh. Hira Lal	30.	Azad Singh S/o Sh. Raghu bir
11.	Balbir Singh S/o Sh. Girdhari	31.	Sukhi Devi W/o Sh. Birju
12.	Krishan Kumar S/o Sh. Moti Ram	32.	Suresh Das S/o Sh. Dhyani Des
13.	Ram Moorti S/o Sh. Karan Singh	33.	Ajay S/o Sh. Jeet Singh
14.	Shiv Narain S/o Sh. Ram Richpal	34.	Balwan Singh S/o Sh. Banwari Ram
15.	Lal Chand	35.	Chand Ram S/o Sh. Dalip Singh
16.	Ram Chander S/o Sh. Surjan	36.	Santosh W/o Sh. Prem Singh
17.	Chander Bhan S/o Sh. Banwari	37.	Tej Ram S/o Sh. Bhagwana
18.	Tara Chand S/o Sh. Surjan	38.	Chander Bhan S/o Sh. Banwari
19.	Jeet Singh S/o Sh. Banwari	39.	Mahender S/o Sh. Girdhari
20.	Satbeeri W/o Sh. Dharam Singh	40.	Kalawati W/o Sh. Pratap Singh

सचिव
राजीव कालोनी विकास समिति
प्लॉट मन्थियारी रोड, नरेला दिल्ली-40

CERTIFICATE OF REGISTRATION



SOCIETIES REGISTRATION ACT, (XXI) OF 1860

Registration No. S-48830 of 2004.

I hereby certify that राजीव काला/जी. विकास समिति

located at 25/20/2, प्लाट माहिपारी रोड, नरेला, दिल्ली-40

has been registered under "SOCIETIES REGISTRATION
ACT - XXI OF 1860".

Given under my hand at DELHI on this 6th day
of April Two Thousand Four.

Registration Fee Of Rs. 50/- Paid.

Seal
Registrar of Societies
Delhi



(J. PAGRAWAL)
Registrar Of Societies
Govt. of N.C.T. of DELHI

Sandhu
सचिव

राजीव काला/जी. विकास समिति
प्लाट माहिपारी रोड, नरेला दिल्ली-40

२१- सूचना देना:-

किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना दो सप्ताह पूर्व, कार्यकारिणी सभा की बैठक की सूचना कम से कम १० दिन पूर्व तथा आपातकालीन बैठक २४ घंटे के अन्दर बुलाई जा सकेगी। हर वर्ष बाद कार्यकारिणी की सूची पंजीयक कार्यालय, दिल्ली को भेजी जायेगी। जो धारा-१४ के अनुसार होगा।

२२- विघटन:-

संस्था की साधारण सभा के ७५ प्रतिशत सदस्यों के बहुमत से इस संस्था को विघटित किया जा सकता है, जो संस्थ पंजीकरण अधिनियम १८६० की धारा-१३ के अनुसार होगा।

२३- निपटान:-

संस्था उपरोक्त अनुसार संस्था का विघटन होने के पश्चात् संस्था की चल व अचल सम्पत्ति को सदस्यों में नहीं बांटा जायेगा, अपितु संस्था पंजीकरण अधिनियम- १८६० की धारा-१४ के अनुसार ७५ प्रतिशत सदस्यों के बहुमत से उसे ऐसे ही समान उद्देश्यों वाली संस्था को दान के रूप में दे दिया जायेगा।

२४- अधिनियम को लागू करना:-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम १८६० के समस्त उपबन्ध इस संस्था पर लागू होंगे।

२५- अनिवार्य प्रमाण-पत्र:-

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रति नियम एवं उपनियम की सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष.....

सचिव.....

कोषाध्यक्ष.....


सचिव

राजीव कालोनी विकास समिति

प्लॉट नं० १०१, नरेश रोड, राजीव नगर-४३

६- इच्छुक व्यक्ति:-

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता इस संस्था के ज्ञापन-पत्र के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभवी संस्था पंजीकरण अधिनियम १९६० के अधीन राजीव कालोनी विकास समिति" नामक संस्था के पंजीकरण के इच्छुक हैं:-

क्रम सं.	नाम एवं पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
१-	संजय कुमार		_____
२-	जयपाल		_____
३-	संतराम		_____
४-	नरेन्द्र कुमार		_____
५-	बलजीत सिंह		_____
६-	जीत सिंह (जीते)		_____
७-	रामचन्द्र		_____
८-	भगवत दयाल		_____
९-	आनन्द प्रकाश		_____
१०-	प्रेम चन्द ठेकेदार		_____

Sant Ram

सचिव

राजीव कालोनी विकास समिति
प्लॉट नं. ५, वी. ए. ८, ए. ८, नं. २०

१०- आय के साधन :-

१. चन्दे द्वारा।
२. सदस्यता शुल्क द्वारा।
३. अनुदान द्वारा।
४. संस्था की सारी आय संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही खर्च की जायेगी।

११- धन की सुरक्षा:-

संस्था के धन की सुरक्षा के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी डाकखाने में जमा किया जायेगा और रूपया निकालने के लिए कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा सचिव में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से रूपया निकाला जा सकेगा। जिसमें कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

१२- रिक्त स्थान की पूर्ति:-

संस्था के किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी द्वारा त्यागपत्र देने से जो स्थान रिक्त होगा उसकी पूर्ति कार्यकारिणी कर सकेगी। किन्तु उसकी पुष्टि साधारण सभा द्वारा की जायेगी।

१३- कोरम:-

कार्यकारिणी सभा व साधारण सभा की बैठकों में २/३ सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होगा इससे कम की उपस्थिति में बैठक को स्थगित कर दी जायेगी। स्थगित की गई बैठक पुनः दो घंटे के पश्चात बुलाई जा सकेगी। पुनः बुलाई गई बैठक में कोरम का पूरा होना अनिवार्य नहीं होगा।

१४- चुनाव:-

संस्था की कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों का चुनाव साधारण सभा की बैठक में ही किया जायेगा और चुने गये सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय एवं पद आदि की सूची प्रति वर्ष संस्था पंजीयन कार्यालय, दिल्ली को संस्था पंजीकरण अधिनियम की धारा-४ के अनुसार भेजेगी।

Saxena

सचिव

राजीव कालोनी विकास समिति
प्याउ म/व

११/११/१०-४०

३. संस्था के समस्त सदस्यों का विवरण रखना, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, संस्था के कार्यों हेतु एक हजार रुपये तक व्यय करना, इससे अधिक व्यय करने के लिए कार्यकारिणी की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
४. कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए समस्त कर्मचारियों को उचित निर्देश देना।

सहसचिव

यह सचिव की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यों/अधिकारों का उपयोग करेंगे, उनके द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्यों को पूरा करना तथा प्रत्येक कार्य में सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

कोषाध्यक्ष

१. यह संस्था की समस्त आय-व्यय का हिसाब-किताब सुचारु रूप से खेंगे।
२. संस्था के समस्त प्रकार के चन्दे, शुल्क, फीस, दान, अनुदान, उपह, भेंट, सहायता आदि प्राप्त करना और कागजात में उनका इन्दराज करना व रसीद देना
३. अध्यक्ष, महासचिव, कार्यकारिणी व आडिटर द्वारा मांगे जाने पर संस्था की आय-व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल, वाऊचर, रसीद, केशबुक इत्यादि निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना।
४. संस्था के कार्यों/उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक हजार रुपये तक व्यय करने का अधिकार। इससे अधिक व्यय के लिए कार्यकारिणी से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
५. अन्य वे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों और संस्था द्वारा करने के लिए वैध प्रतीत हों।

सहकोषाध्यक्ष

यह कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यों/अधिकारों का उपयोग करेंगे, उनके द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्यों को पूरा करना तथा प्रत्येक कार्य में सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

Sampan
सचिव
राजीव कालोनी विकास समिति
प्याउ मनिवारी रा. १२५५५५५-५०

६- पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

अध्यक्ष

१. संस्था की समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना सुचारु रूप से करना। अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी की संख्या कम-ज्यादा कर सकते हैं। पदों की संरचना कर सकते हैं। देश में कहीं भी पदाधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।
२. विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिकार अध्यक्ष को होंगे जैसे गठन, पदाधिकारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पद संख्या, अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरी तथा मान्य होगा। जिसे कोई भी सदस्य चैलेंज नहीं कर सकेगा।
३. कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए समस्त सम्बन्धित सदस्यों को उचित निर्देश देना।
४. आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए समस्त आदेश देना।
५. बराबर मत आने पर उनको एक अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
६. संस्था के उद्देश्यों/कार्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकता पड़ने पर एक हजार रुपये तक व्यय करने का अधिकार होगा। इससे अधिक व्यय के लिए कार्यकारिणी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

उपाध्यक्ष

यह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का उपयोग करना, उनके द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्य को पूरा करना और प्रत्येक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग करना।

सचिव

१. संस्था की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकों को बुलाना, कार्यवाही लिखना, नियमों को क्रियावित करना, हर किस्म के पत्र-व्यवहार करना और प्रत्येक कार्य को सुचारु रूप से चलाना होगा।
२. संस्था का वार्षिक विवरण तैयार करके साधारण सभा में प्रस्तुत करना।



राजीव कालोनी विकास समिति
प्लॉट मनिवासे, रा. रा. ४२वी-४०

७- कार्यकारिणी:-

१. संस्था के समस्त कार्य एवं सदस्यों का पूर्ण विवरण रखेगी
२. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का पूर्ण प्रबन्ध सुचारु रूप से करना।
३. कार्यकारिणी की बैठक तीन माह में एक बार होनी आवश्यक होगी। इसके लिए कम से कम ३ दिन पूर्व लिखित सूचना प्रत्येक सदस्य के पास भिजवाना आवश्यक होगा।
४. कार्यकारिणी के कुल सदस्यों का २/३ ही कार्यकारिणी बैठक का कोरम मानी जायेगी।
५. संस्था के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको कार्य सौंपना, कार्य का निरीक्षण करना, उनको आवश्यक निर्देश देना, वेतन निश्चित करना, वेतन कम-ज्यादा करना, वेतन का भुगतान करना। सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किसी भी गलत कार्य करने पर निलम्बित करना इत्यादि कार्य भी कार्यकारिणी ही करेगी। साधारण सभा द्वारा पारित समस्त प्रस्तावों को पूरा करना।
६. समस्त प्रकार के खर्चों के हिसाब-किताब रखना व उनकी योजना बनाना, लेकिन कार्यकारिणी किसी भी स्त्रोत से कर्ज लेकर कोई कार्य खर्च नहीं करेगी। ऐसा केवल साधारण सभा की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकेगा।
७. अन्य वे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक व जरूरी तथा संस्था के हित में रहें।

८- कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्य:-

संस्था की कार्यकारिणी में कम से कम ७ और अधिक से अधिक २१ सदस्य होंगे, जिनके पद निम्न प्रकार से होंगे:-

- | | |
|----------------------|------------------|
| १. अध्यक्ष - | एक |
| २. उपाध्यक्ष | एक |
| ३. सचिव | एक |
| ४. सहसचिव | एक |
| ५. कोषाध्यक्ष | एक |
| ६. सहकोषाध्यक्ष | एक |
| ७. कार्यकारिणी सदस्य | एक से पन्द्रह तक |

Sant Ram

राजीव कातोली विकास समिति

प्याउ म. नारायण रा. वि. सम. १-४०

४- अपील:-

यदि किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो उसे सभा की बैठक में अपील करने का अधिकार होगा।

५- पुनः सदस्यता:-

किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर यदि साधारण सभा उसकी अपील मंजूर कर लेती है तो उस सदस्य को संस्था की पिछली समस्त देय धनराशि का भुगतान करना होगा और प्रवेश शुल्क पुनः जमा कराना होगा तभी उसे संस्था का पुनः सदस्य बनाया जा सकेगा।

६- साधारण सभा:-

१. सदस्यता के समस्त सदस्यों को ही मिलाकर ही साधारण सभा का गठन किया जा सकेगा।
२. साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होनी आवश्यक होगी। इसके लिए कम से कम १४ दिन पूर्व लिखित सूचना प्रत्येक सदस्य के पास भिजवाना आवश्यक होगा।
३. साधारण सभा की बैठकों का कोरम दो तिहाई (२/३) सदस्यों की उपस्थिति ही माना जायेगा।
४. संस्था की कार्यकारिणी सदस्यों व पदाधिकारियों का चुनाव भी साधारण सभा की बैठक में ही किया जायेगा।
५. संस्था का वार्षिक बजट, आय-व्यय का लेखा जोखा तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी साधारण सभा द्वारा प्रति वर्ष पास की जायेगी।
६. साधारण सभा संस्था की प्रत्येक नीति निर्धारित करेगी, किसी भी नयी योजना को अंतिम रूप देगी। किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को हटाने का साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होगा।

Savitram
सचिव

राजीव कालोनी विकास समिति
प्लाट ननिवारी रोड, नरेला दिल्ली-५०

संस्था की नियमावली

१- संस्था का नाम:- “राजीव कालोनी विकास समिति”

२- सदस्यता:-

सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं आवश्यक होंगी:-

१. भारतवर्ष का कोई भी स्त्री पुरुष जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, सदस्य बन सकता है।
२. किसी भी प्रकार से नैतिक दोषी न हो तथा किसी भी न्यायालय से किसी नैतिक अपराध में दंडित न किया गया हो।
३. उद्देश्यों में अपनी पूर्ण आस्था रखता हो तथा नियम एवं उपनियमों का पालन करने का वचनबद्ध हो।
४. सदस्य बनते समय प्रवेश शुल्क १०१/- रुपये तथा मासिक चन्दा २५/- रुपये निर्धारित समय पर जमा करवाये।
५. किसी अन्य संस्था द्वारा बहिष्कृत न किया गया हो।
६. किसी भी सदस्य की सदस्यता नियम के विरुद्ध समाप्त नहीं की जायेगी।

३- सदस्यता से वंचित होना:-

१. त्याग पत्र देने पर,
२. मृत्यु अथवा पागल हो जाने पर,
३. नियम एवं उपनियम का उल्लंघन करने पर,
४. किसी न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दंडित किये जाने पर,
५. लगातार तीन माह का चन्दा न देने की सूरत में, सदस्यता समाप्ति की सूचना सदस्य को दी जायेगी।

Sandram

सचिव
राजीव कालोनी विकास समिति
(प्लाट नं. ३, राजीव कालोनी, नर. १, दिल्ली-११००५३)

राजीव कालोनी विकास समिति

प्याऊ मनियारी रोड, नरेला, दिल्ली-40

25/20/2, मास्टर ऑटोमोबाईल, प्याऊ मनियारी रोड, नरेला, दिल्ली-40

फोन :- 27281170, 27284541

पत्रांक.....

दिनांक.....

श्री संजय कुमार

अध्यक्ष

फोन:27281170/4541

श्री जयपाल

उपाध्यक्ष

फोन:27285626

श्री संतराम

सचिव

फोन:27282902

श्री नरेन्द्र कुमार

सहसचिव

फोन:9811456195

श्री बलबीर सिंह

कोषाध्यक्ष

फोन:27284025

सेवा में,

अतिरिक्त सचिव (अनधिकृत कालोनी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शहरी विकास विभाग, 9वा तल, सी विंग,
दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002

विषय :- अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण (2007)।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या डब्लू पी (सी) नं0 725/1994 के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 14.2.2006 के आदेश तथा दिल्ली उच्च न्यायालय मे सी डब्लू (पी) नं0 4771/1993 के मामले मे तारीख 13.10.1993 के स्थगन रिक्त आदेशों के अधीन होगा। औपचारिक नियमन आदेश कानून की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर ही जारी किये जाएंगे। पंजाब केसरी 4 नवम्बर 2007 के अखबार मे जो निकाला है। उसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कालोनियों के नियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र की मांग की गयी है। उपरोक्त आधार पर नरेला विधानसभा क्षेत्र मे राजीव कालोनी एक्सटेंशन, प्याऊ मनियारी रोड, नरेला, दिल्ली-40 में बसी बस्ती को नियमितीकरण कराने हेतु समस्त दस्तावेजों को इस पत्र के माध्यम से आपको जमा कराया जा रहा है। जिनकी सूची निम्नलिखित है:-

श्री जीत सिंह (जिते)

सह-कोषाध्यक्ष

1.1000 के पैमाने पर लोकेशन साइट प्लान, कीप प्लान, लेआउट प्लान, सी डी, सम्पत्तियों के स्वामी की सूची, आर डब्लू के मैम्बरों की सूची जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 आवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है, जिसे जमा करने की कृपा करे।

धन्यवाद।

सचिव

राजीव कालोनी विकास समिति
प्याऊ मनियारी रोड, नरेला दिल्ली-40

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



INDIA NON JUDICIAL

AFFIDAVIT

1444 209135

राजीव DELHI

I, Sant Ram S/o Sh. Tara Chand, General Secretary of Rajiv Colony Vikas Samiti, Piyau Maniari Road, Narela, Delhi (Regd.) situated at H.No.25/20/2, Master Automobile, Rajiv Colony Extn., Piyau Maniari Road, Narela, Delhi-110040 do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That the above said Association is a registered association.
2. That I am submitting lay out plan of Rajiv Colony Extn., Piyau Maniari Road, Narela, Delhi-110040 on behalf of our Association for sanction.
3. That I am agreed with the submitting lay out plan for sanction on behalf of our Rajiv Colony Vikas Samiti, Piyau Maniari Road, Narela, Delhi (Regd.)
4. That our Association is ready to pay necessary charges for electricity, water, sewer, drainage etc. to the concerned authorities /departments.
5. That no vacant land is available in our society for community centre, park or other activities.
6. That I am not liable to give the undertaking that the vacant land would be transferred in the name of Govt. of India.



Verification:-

Verified at Delhi on this 24th day of December, 2007 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
RAJIV COLONY DELHI

24 DEC 2007

Deponent

Sant Ram

राजीव कालोनी विकास समिति
पियौ मनीारी रोड, नरेला दिल्ली-40

Deponent

Sant Ram

राजीव कालोनी विकास समिति
पियौ मनीारी रोड, नरेला दिल्ली-40

			opment
	-Roads -Water Supply -Hand pumps -Tube wells -Underground Water Tank -Street Light -ESS/Transformers/Generators -Drains -Sewerage/Sanitation -Fire fighting installations	YES NA YES - 15 YES - 3 NA YES - 5 YES - 2 NA NA NA	
31.	Status of Facilities	Nos./Area/ Width/Length	Stage of Devel- opment
	-Parks/Transport lots/Common -Open space -Schools -Community Hall -Common parking areas -Dispensary/Health Centre -Religious structures -Police Post/Fire Post	NA NA YES NA NA NA YES NA	

Enclosures:

- Resolution of the Resident Society.
- Registration Certificate of Society with authenticated List of members/owners/occupants.
- Existing Survey (05 copies + CD)
- Regularisation Plan/ 5 Lay out Plan (Service plan (05 copies+ CD).
- Undertaking as mentioned.
- Certificates/documents/NOCs as mentioned.

Signature of Authorised Signatory
Resident Society

Sant Ram
सचिव
राजीव कालोनी विकास समिति
प्लॉट नं. 40

19.	List of members with Plot/Property No. (to be attached)	200
20.	Percentage of Residents/House owners as members of the Resident Society	30

21. No. of Built-up Plots: (Min. 35% of Gr. Floor permissible coverage)

(i)	Upto 100 sq. mts.	-	90
(ii)	Above 100 sq. mts.	-	30
(iii)	Above 250 sqm.	-	04

22. No. of Vacant Plots:

(i)	Upto 100 sq mts.	-	50
(ii)	Above 100 sq. mts.	-	174
(iii)	Above 250 sqm.	-	05

23.	Land use: As per Master Plan As per Zonal Plan	1	
24.	Whether falls in Reserved Forests or Regional Park		Yes/No
25.	Whether the Colony effects/falls over Master Plan Road alignment Railway Line Metro Corridor Water Supply/sewerage lines/Utilities Works	-NA-	
26.	Any Monuments/Heritage Buildings in the Colony or in the vicinity?	-NA-	
27.	Key Plan/Site Plan of unauthorised Colony and description of boundaries..... (Please attach scaled Key Plan/Plan of Colony superimposed on Zonal Plan/City Survey Map indicating North Point, surrounding features, adjacent roads, buildings, drains, electricity, lines etc.)	YES	
28.	NOC as mentioned at para IV (ii): (Please attach)	YES	
29.	Undertaking/Indemnity Bond (Please attach)	YES	
30.	Status of Services	Nos./Area/ Width/Length	Stage of Devel.

Santosh Kumar
सचिव
राजीव कालोनी विकास समिति
प्लाट नं. 11 वारो राड, नरवा दिवली-40

Application & check list for Regularisation of Unauthorised Colony

(To be filled up by the Resident Society and to be countersigned by Architect-Town Planner & Service Engineer)

1.	Name and address of the Colony	RATEEV COLONY EXT. PIO MANIYARI ROAD NARELA DELHI-40
2.	Regn. No. in the GNCTD list	48530
3.	Name of Resident Society	RATEEV COLONY VIKAS SAMITI
4.	Registration no. of the Resident Society (with Registrar of Societies)	593
5.	Names of Physical Surveyor & Socio-economic Surveyor	RAMESHWAR DAYAL M M PARTI
6.	Name of Services Engineer	M M PARTI
7.	Name of Supervising Engineer	B. K. CHAUHAN
8.	Name of Authorised Signatories	Santh Ram
9.	Category of colony (as notified vide Public notice dated 14.10.2007)	F
10.	Revenue Village	ALIPUR NARELA - 40
11.	Zone (As per Master Plan of Delhi)	RURAL ZONE
12.	Date from which unauthorised colony exists	1982
13.	Location/surroundings (Towards North, South, East & West)	N. Gauri Chakrav. D. H. Thakur S. Natar. P. N. P. L.
14.	Development Area No. MCD/NDMC/Contl. Board Area?	
	Whether falls in Notified Slum Area?	MCD
15.	Total area of Unauthorised Colony	Approx.
16.	Land Status/Ownership	PRIVATE LAND
17.	Court Case, if any (Please attach details)	NA
18.	Land whether notified for acquisition	NA

राजीव कालोनी विकास समिति
प्लॉट मां. व. रोड, नर. 1 दिल्ली 110

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL



दिल्ली DELHI

AFFIDAVIT/UNDERTAKING

22AA 100187

I, Sant Ram S/o Shri Tara Chand, Secretary of Rajiv Colony Vikas Samiti, Piyau Maniyari Road, Rajiv Colony Extn., Narela, Delhi-40 (Regd. No. S-48830) located at 25/20/2, Master Automobile, Piyau Maniyari Road, Rajiv Colony Extn., Narela, Delhi-110040, do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That we shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions.
2. That we shall transfer the land available, if any for social infrastructure in the name of DDA of the MCD / NDMC, free of cost, in order to provide such social infrastructure.

Sant Ram
Deponent

VERIFICATION:-

Verified at Delhi on this 11th day of August, 2008 that the contents of the above affidavit/undertaking are true and correct to the best of our knowledge and nothing material has been concealed there from.



ATTESTED

NOTARY PUBLIC
DELHI (INDIA)

Sant Ram
Deponent

11 AUG 2008

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
10TH LEVEL, DELHI SECRETARIAT,
I.P. ESTATE, NEW DELHI

F. No. 1-33/UC/UD/Policy/08/PF/

Dated:-

11 AUG 2009

To,

✓
The President / Secretary

Rajiv Colony Vikas Samiti

Rajiv Colony Extn. Narela

Delhi - 40

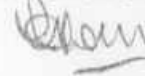
Registration No. 0593

Sub: - Eligibility slip for issuance of Provisional Regularization Certificate.

Sir,

The documents submitted by you have been scrutinized and your unauthorized colony bearing Registration No. 0593 has been found eligible for issuance of Provisional Certificate of Regularization.

Yours faithfully,



(Incharge)
Counter No.

Sankar
11/8/2009

राजिव कोलो विकास समिति

नरेला, दिल्ली - 40

9313462305

Urban Development Deptt.
(Govt. of Delhi)
Delhi Secretariat New Delhi - 2

Provisional



of Regularization

No. : F.1-33/UC/UD/2004/Pt.-III/

Dated : 17.9.2008

It is certified that the residents of Rajeev Colony Extn. Pityau, Narula Bell-40
unauthorised colony, having Regd. number 593, represented through

Sh/Ms. Sant Ram

(President/Secretary) of the Rajeev Colony Vikas Samiti Society Ltd. (registered
under the Society Registration Act, 1861) having registration number S-48830/2004

have fulfilled the requirement of Clause 4 of the Regulations for Regularization of
unauthorised colonies in Delhi, notified by the Government of India vide notification No.
S.O. 683 (E) dated the 24th March, 2008 and amended vide notification No. S.O. 1452
dated the 16th June, 2008, and, thus Rajeev Colony Extn. Pityau, Narula
unauthorised colony is provisionally regularized. Delhi-40

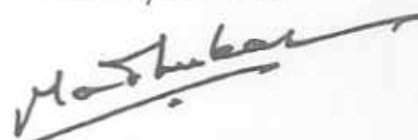
This provisional regularization certificate shall be subject to the scrutiny of the
requisite documents, by the local body/ Delhi Development Authority/ GNCTD, with
regard to fulfillment of conditions stipulated under the aforesaid Regulations. The
unauthorised colonies fulfilling those conditions shall only be considered for final
regularization.

The final boundary of the aforesaid colony would be fixed by the GNCTD only
after completing all requisite formalities including those in Clause 3 of the Regulations.

By order and in the name of the Lt.

Governor of the National Capital

Territory of Delhi


(MADHUKAR)

Joint Secretary (UC)



RAJ KUMAR CHAUHAN

Urban Development Minister

Govt. of NCT of Delhi

To,

Sh/Ms. Sant Ram